**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2857**

**(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)**

**फिल्म, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया और प्रसारण केन्द्र के रूप में मुंबई का योगदान**

**2857. श्री संजय दिना पाटीलः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में देश के फिल्म, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया और प्रसारण केंद्र के रूप में मुंबई के योगदान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो मुंबई में फिल्म निर्माण, प्रसारण अवसंरचना, डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं, वित्तीय सहायता और नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हितधारकों की ओर से मुंबई में आधुनिक मीडिया अवसंरचना, एकल खिड़की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में कोई सुझाव या माँग प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा रोज़गार सृजन, निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देते हुए मीडिया, मनोरंजन, प्रसारण और रचनात्मक उद्योगों के लिए मुंबई की स्थिति को एक वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**

**(डॉ. एल. मुरुगन)**

(क) से (घ): मुंबई फिल्म, टेलीविजन, प्रसारण, डिजिटल मीडिया तथा सामग्री सृजन के लिए देश का अग्रणी केंद्र है, जो भारत के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से मुंबई के लिए कोई शहर-विशिष्ट आकलन नहीं

किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राईवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के डाउनलिंकिंग के लिए अनुमतियां नीतिगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर प्रदान की जाती हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय सिनेमा, फिल्म विरासत तथा फिल्म संबंधी सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम लागू की है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), भारतीय फिल्म संवर्धन, फिल्म निर्माण, घरेलू फिल्म समारोह तथा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) शामिल हैं। यह स्कीम देशभर में, जिसमें मुंबई के हितधारक भी शामिल हैं, लागू है, जिससे भारत के फिल्म इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल रहा है।

मंत्रालय द्वारा कई पहल की गई हैं यथा इंडिया सिने हब (आईसीएच), जो फिल्मांकन अनुमतियों के लिए एकल-खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म है; एवीजीसी-एक्सआर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मुंबई में भारतीय सृजनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) की स्थापना; तथा ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करार और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स), जो ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप फिल्म निर्माण, सामग्री सृजन, निवेश, रोजगार तथा प्रौद्योगिकीय नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं।

सरकार उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित संवाद करती है तथा मीडिया अवसंरचना, फिल्मांकन में सुगमता, एकल-खिड़की सुविधा तथा अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव प्राप्त करती है, जिन पर नीति एवं सुविधा ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विधिवत विचार किया जाता है। सरकार वैश्विक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों एवं फिल्म बाजारों में भारतीय सिनेमा के संवर्धन, प्रसारण सुधारों तथा उभरती हुई सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास के माध्यम से मीडिया एवं मनोरंजन इकोसिस्टम को निरंतर समर्थन प्रदान करती है।

डीसीडीएफसी स्कीम, इसके विभिन्न घटकों तथा मंत्रालय की विभिन्न पहल से संबंधित विस्तृत जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.mib.gov.in) पर उपलब्ध है।

*****